भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति : 2018-19

(मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2018-19 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है।

समय-सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण (वह आवेदक जिसने 2017-18 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	30 सितम्बर 2018

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वर्षिक बोर्ड / कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट - **www.scholarship.gov.in** (इस साइट का लिंक **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दे जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों, जहाँ कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 15 अगस्त, 2018 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

davp 27101/13/0067/1819

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाए।

(समाधान हेल्पलाइन : 1800-11-2001)